

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (v)

मैनुअल संख्या-5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम,
अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियों बरती गयी है, तथापि
इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गयी हो तो कृपया अवस्थापना
भवन, 583-ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर
रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या
ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल-5

1. रिकॉर्ड / मैनुअल / निर्देश का शीर्षक और प्रकृति।

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना निगम लि0) में निगम के गठन के समय से अपनी सेवानियमावली-2008 तथा प्रथम संशोधन 2009 है। अन्य प्रशासनिक एवं तकनीकी विषयों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नियम, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश, शासनादेश आदि का पालन किया जाता है। इनके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन / कार्यरत निगमों के वर्तमान नियमों, विनियमावलियों, आदेशों आदि का कुछ संशोधनों सहित निगम के कार्यों के सुगम सम्पादन हेतु अंगीकृत किया जाता है।

2. नियमों, विनियमों, निर्देश मैनुअल और अभिलेखों की सूची।

क्रम सं0	अभिलेखों की सूची
1	Memorandum of Association (USIDCL) Now (BRIDCUL)
2	Articles of Association (USIDCL) Now (BRIDCUL)
3	Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation (Presently Known As BRIDCUL) Service Rules (Engineering & General Services) 2008-09
4	Uttarakhand Procurement Rules 2018
5	Financial Rules Hand Book Volume-1,2,3,4,5 & 6 approved by Uttarakhand Govt.
6	Rules & Regulations enacted by Uttarakhand Govt. & Govt. of India

3. अधिनियम / नियम मैनुअल आदि।

अधिनियम नियम मैनुअल आदि ब्रिडकुल एवं उत्तराखण्ड सरकार, भारत सरकार की अधिकृत वेबसाईट पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

4. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

ब्रिडकुल की कोई अपनी स्थानांतरण निति निर्धारित नहीं की गई है जबकि स्थानांतरण निति हेतु कार्य संचालन, सुविधा संतुलन समय-समय पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थानांतरण निति के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किए जाते हैं। ब्रिडकुल सामान्यता निर्माण सम्बन्धित कार्यों का निर्वाहन Deposit आधार पर करता है जिस हेतु आवश्यक इकाई कार्यालय PIU कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप अलग-अलग क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं। जिसके आधार पर कार्मिकों को नियुक्त एवं स्थानान्तरित किया जाता है।

